कार्यालय अंचल अधिकारी,चास (बोकारो)।

भू–मापी अभिलेख संख्या : 66/2017–18

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3

23/01/18

आदेश

आवेदक मो0 जाफर इकबाल, पिता–स्व0 मो0 जहीरूद्दीन, सा0–चास, जिला–बोकारो द्वारा दिए गए आवेदन में मौजा–चास, थाना सं0–30 के खाता सं0–249, प्लॉट सं0–3720, रकवा–0.07 ए0 भूमि का मापी के आवेदन पर वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्रश्नगत भूमि की मापी दिनांक 26.09.2017 को निर्धारित की गई है। उक्त पत्र के आलोक में अंचल अमीन द्वारा मापी किया गया। अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–चास, थाना सं0–30 के खाता सं0–249, प्लॉट सं0–3720, रकवा–0.07 ए0 भूमि की मापी करने स्थल पर गया। स्थल पर आवेदक अपना कागजात लेकर उपस्थित थे। कागजात का अवलोकन करने पर पाया कि मौजा–चास, थाना सं0–30 के खाता सं0–249, प्लॉट सं0–3720, रकवा–0.07 ए0 भूमि आवेदक के पिता द्वारा क्रय किया गया है, जिसका केवाला सं0 6201 दिनांक 23.07.1980 वो 6202 दिनांक 23.06.1980 है, जिसका चौहद्दी उ0 मो0 सिद्दीक द0 सरकारी रोड पू0 गली रास्ता 3½ फीट प0 पानी का निकासी रास्ता है एवं केवाला के साथ एक ट्रेश नक्शा भी संलग्न है जिसमें उक्त भूमि को लाल रंग से दिखाया गया है। केवाला में वर्णित चौहद्दी के मुताबिक भूमि को मापी कर चिन्हित कर दिया गया जिसमें आवेदक के मकान के दक्षिण दिवाल से दक्षिण तरफ 8 फीट भूमि आवेदक के खरीदगी के अंदर आती है। परन्तु वह 8 फीट भूमि रोड चौडीकरण में आ जाता है क्योंकि सर्वे नक्शा के मुताबिक उस जगह रोड की चौड़ाई 43 फीट है लेकिन वर्त्तमान में रोड की चौड़ाई 59 फीट है। मापी की गई भूमि को ट्रेश नक्शा द्वारा लाल रंग से दिखाया गया है। आवेदक की भूमि का मापी कर सीमांकन कर दिया गया है।

अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं ट्रेश नक्शा के आधार पर अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

23/1/18

अंचल अधिकारी,
चास।